

दसिंबर 2023

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **माइक्रोइकोनॉमिक विकास**
 - चालू खाता घाटा GDP का 1%
- **गृह मामले**
 - जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023
 - महिलाओं के लिये सीट आरक्षण करने हेतु अधिनियम पारित
 - जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण कानून में संशोधन
 - पुद्दुचेरी विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षण
- **कानून और न्याय**
 - चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को वनियमिति करने वाला अधिनियम
 - संविधान के अनुच्छेद 370 का नरिसन
- **वित्त**
 - करों के अनंतिम संग्रहण अधिनियम की जगह लेने वाला अधिनियम संसद द्वारा पारित
 - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम में संशोधन
 - RBI द्वारा स्व-नियामक संगठनों के लिये मसौदा रूपरेखा
 - अधिकृत व्यक्तियों हेतु मसौदा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जारी
 - प्रतभूतियों के तात्कालिक निपटान पर परामर्श-पत्र जारी
- **संचार**
 - समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को वनियमिति करने वाला अधिनियम
 - डाकघर अधिनियम, 2023
- **शिक्षा**
 - तेलंगाना में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अधिनियम
 - भारत में अनुसंधान-आधारित शिक्षा पर रपिर्त
- **शपिगि**
 - लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शपिगि पर वजिन दस्तावेज़ जारी
- **सवासथय**
 - आयुष्मान भारत पर रपिर्त
- **उद्योग**
 - EV के प्रचार पर रपिर्त जारी
- **श्रम**
 - राष्ट्रीय बाल श्रम नीतिकी समीक्षा
 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण
 - जूट बैग के अनिवार्य उपयोग को मंजूरी
- **रसायन और उरवरक**
 - कीटनाशकों के संवर्धन और विकास पर रपिर्त प्रस्तुत
- **रक्षा**
 - DRDO के कामकाज पर रपिर्त
- **वदिशी मामले**
 - G-20
- **पेट्रोलियम**
 - कच्चे तेल के आयात पर रपिर्त
- **खनन**
 - नजी एजेंसियों की नियुक्तिकी योजना अधिसूचति
 - खनजिों के लिये रियायतों के संबंध में नयिमों पर टपिपणयिों
- **पर्यावरण**

- वन्यजीवन (संरक्षण) अंतरराष्ट्रीय नमूना व्यापार नियम, 2023
- **उपभोक्ता मामले**
 - पूर्वोत्तर में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर रिपोर्ट

माइक्रोइकोनॉमिक विकास

चालू खाता घाटा GDP का 1%

- **चालू खाता गतिशीलता: दूसरी त्रिमाही 2023-24:**
 - वर्ष 2023-24 की दूसरी त्रिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिये भारत के चालू खाते में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसमें 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा दर्ज किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद के 1% के बराबर है।
 - यह आँकड़ा पिछले वर्ष की इसी त्रिमाही की तुलना में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है, जिसमें 30.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा दर्ज किया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद (2022-23) के 3.8% के बराबर है।
- **चालू खाता घाटे में त्रिमाही उतार-चढ़ाव**
 - 2023-24 की प्रारंभिक त्रिमाही (अप्रैल-जून) में चालू खाता घाटा थोड़ा बढ़कर 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% है।
 - यह दूसरी त्रिमाही में देखे गए सकारात्मक रुझान के विपरीत है, जो भारत के आर्थिक प्रदर्शन में गतिशीलता पर जोर देता है।
- **माल व्यापार संतुलन: दूसरी त्रिमाही 2023-24**
 - माल व्यापार संतुलन में एक सकारात्मक बदलाव देखा गया क्योंकि घाटा 2022-23 की दूसरी त्रिमाही में 78.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 की दूसरी त्रिमाही में 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
 - यह व्यापार गतिशीलता में एक उत्साहजनक प्रवृत्ति को उजागर करता है।
- **पूंजी खाता लचीलापन**
 - पूंजी खाते ने लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2023-24 की दूसरी त्रिमाही में 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया, जो 2022-23 की इसी त्रिमाही में दर्ज 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध प्रवाह के बिल्कुल विपरीत है।
 - 2023-24 की पहली त्रिमाही में 34.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध प्रवाह के साथ और भी अधिक मजबूत प्रदर्शन देखा गया।
- **वदेशी मुद्रा भंडार: दूसरी त्रिमाही 2023-24**
 - वदेशी मुद्रा भंडार में सकारात्मक वृद्धि देखी गई, इसमें 2023-24 की दूसरी त्रिमाही में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। यह पिछले वर्ष की इसी त्रिमाही के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें 30.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी देखी गई थी।
 - 2023-24 की पहली त्रिमाही में वदेशी मुद्रा भंडार में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के साथ सकारात्मक गति, भारत की आर्थिक स्थिति के लचीलेपन पर जोर देती है।

गृह मामले

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधियक, 2023

संसद ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधियक, 2023 को पारित कर दिया। विधियक जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।

विधियक की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **विधानसभा में सीटों की संख्या:**
 - 2019 के अधिनियम ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 निर्दिष्ट है। यह अनुसूचित जातियों के लिये छह सीटें आरक्षण करता है। लेकिन अनुसूचित जनजातों हेतु कोई सीट आरक्षण नहीं की गई है।
 - संशोधन सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 कर एक उल्लेखनीय बदलाव को प्रदर्शित करता है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिये सात सीटें और अनुसूचित जनजातों हेतु नौ सीटें आरक्षण हैं।
 - इसके अतिरिक्त अधिनियम पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये 24 सीटें आवंटित करता है।
- **कश्मीरी प्रवासियों के नामांकन की व्यवस्था:**
 - विधियक में कहा गया है कि उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकता है। नामित सदस्यों में से एक महिला होनी चाहिये।

महिलाओं के लिये सीट आरक्षण करने हेतु विधियक पारित

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधियक, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया। विधियक जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।

■ महिलाओं के लिये आरक्षण:

- वधियक, जहाँ तक संभव हो, जम्मू एवं कश्मीर वधानसभा की सभी नरिवाचति सीटों में से एक-तहिाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षति करता है।
- यह आरक्षण वधानसभा में अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति हेतु आरक्षति सीटों पर भी लागू होगा।

■ आरक्षण की शुरुआत और अवधि:

- इस वधियक के लागू होने के बाद आयोजति जनगणना के प्रकाशति होने के बाद आरक्षण प्रभावी होगा।
- जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षति करने हेतु परसीमन कथिा जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष के लिये लागू रहेगा।
- हालाँकि यह संसदीय कानून द्वारा नरिधारति तथितिक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि संवधान वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना से पहले तक परसीमन पर रोक लगाता है।

जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण कानून में संशोधन

जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) वधियक, 2023 को संसद में पारति कर दथिा गया। यह जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण एक्ट, 2004 में संशोधन करता है। अधनियिम अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति और अन्य सामाजकि एवं शैक्षकि रूप से पछिड़े वर्गों के सदस्यों को व्यावसायकि संस्थानों में नौकरथियों तथा प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है।

■ अधनियिम के तहत श्रेणथिाँ:

- मौजूदा जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधनियिम, 2004 के तहत सामाजकि और शैक्षकि रूप से पछिड़े वर्गों में केंद्रशासति प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर द्वारा घोषति सामाजकि तथा शैक्षकि रूप से पछिड़े गाँवों में रहने वाले व्यक्ता शामिल हैं।
- इसके अतरिकित इसमें आधिकारकि तौर पर अधसूचति कमज़ोर और वंचति वर्गों (सामाजकि जातथियों) के साथ-साथ वास्तवकि नरिंत्रण रेखा तथा अंतरराष्टरीय सीमा से सटे क्शेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं।
- यह अधनियिम केंद्र सरकार को एक आयोग की सफारथियों के आधार पर इन श्रेणथियों को संशोधति करने का अधिकार देता है।

■ वधियक द्वारा प्रस्तुत संशोधन:

- हालथिा वधियक केंद्रशासति प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर द्वारा नरिदषित "अन्य पछिड़े वर्गों" के साथ "कमज़ोर और वंचति वर्ग" शब्द को प्रतस्थापति करके एक परविरतनकारी बदलाव लाता है।
- इसके अलावा संशोधन में अधनियिम से कमज़ोर और वंचति वर्गों की परभाषा को हटाना शामिल है। शब्दावली तथा वर्गीकरण में इस सूक्ष्म बदलाव का उद्देश्य आरक्षण ढाँचे को समकालीन सामाजकि-आर्थकि वचिारों के साथ सुव्यवस्थति एवं संरेखति करना है।

पुदुचेरी वधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षण

केंद्रशासति प्रदेश सरकार (संशोधन) वधियक, 2023 को संसद ने पारति कर दथिा। यह वधियक केंद्रशासति प्रदेश सरकार अधनियिम, 1963 में संशोधन करता है। अधनियिम कुछ वशिष केंद्रशासति प्रदेशों के लिये वधानसभाओं की स्थापना और मंत्रपरिषद के गठन का प्रावधान करता है।

- **पुदुचेरी वधानसभा में महिलाओं हेतु आरक्षण:** वधियक पुदुचेरी वधानसभा की सभी नरिवाचति सीटों में से एक-तहिाई महिलाओं के लिये आरक्षति करता है। यह वधानसभा में अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति की आरक्षति सीटों पर भी लागू होगा।
- **आरक्षण की शुरुआत:** यह आरक्षण वधियक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के पश्चात् प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षति करने हेतु परसीमन कथिा जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान कथिा जाएगा। हालाँकि यह उस तारीख तक जारी रहेगा, जसिका नरिधारण संसद के कसिी कानून द्वारा कथिा जाता है।
- **सीटों का रोटेशन:** हर परसीमन के बाद महिलाओं के लिये आरक्षति सीटों का रोटेशन कथिा जाएगा, जैसा कि संसद के कानून द्वारा नरिधारति कथिा जाए।

कानून और न्याय

चुनाव आयुक्तां की नयुक्ताथियों को वनियिमति करने हेतु वधियक

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नयुक्ता, सेवा शरतें एवं कार्यावधि) वधियक, 2023 को संसद में पारति कर दथिा गया। यह वधियक नरिवाचन आयोग (चुनाव आयुक्तां की सेवा शरतें और कार्य संचालन) अधनियिम, 1991 का स्थान लेता है। संवधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्त (EC) की नयुक्ता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वधियक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नयुक्ता के लिये एक प्रक्रथिा नरिदषित करता है।

■ नयुक्ता प्रक्रथिा:

- संवधानकि प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति के पास मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तां को नयुक्त करने का अधिकार है। अधनियिमति नया वधियक इस नयुक्ता प्रक्रथिा के लिये एक व्यापक प्रक्रथिा का वर्णन करता है, जसिमें चयन समति की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दथिा गया है।
- राष्ट्रपति चयन समति द्वारा प्रदान की गई सफारथियों के आधार पर नयुक्ताथिा करता है।

■ चयन समति की संरचना:

- चयन समति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में लोकसभा में वपिक्श का नेता और सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा

नयुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

○ वपिकष के नेता की अनुपस्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े वपिकषी दल का नेता इस भूमिका को नभिता है।

■ खोजबीन समिति (सर्च समिति):

○ चयन समिति पर वचिर करने के लयि खोजबीन समिति पाँच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। खोजबीन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचवि करेगा।

○ इसमें सचवि स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे।

○ चयन समिति उन उम्मीदवारों पर भी वचिर कर सकती है जनिहें खोजबीन समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं कयिा गया है।

■ CEC और EC की योग्यता:

○ जो व्यक्ती केंद्र सरकार के सचवि के पद के समकक्ष पद पर हैं या ऐसे पद पर रह चुके हैं, वे CEC और EC के रूप में नयुक्त होने के पात्र होंगे। ऐसे व्यक्तियों के पास चुनाव प्रबंधन एवं संचालन में वशिषज्जता होनी चाहयि।

■ सेवा शर्तें:

○ CEC का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा।

○ सेवा की अन्य शर्तें जैसे चकितिसा सुवधिएँ और यात्रा भतता को राष्ट्रपति द्वारा नयिमों के माध्यम से नरिधारति कयिा जाएगा।

संवधान के अनुच्छेद 370 का नरिसन

सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने संवधान के अनुच्छेद 370 को नरिसत करने को लेकर अपना फैसला सुनाया।

■ सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

○ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में वभिनिन आधारों पर अनुच्छेद 370 को नरिसत करने के नरिणय को बरकरार रखा गया। इसने स्पष्ट कयिा कि जममू एवं कश्मीर के पूर्व राज्य में संप्रभुता का अभाव था, इस बात पर ज़ोर दयिा गया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।

○ न्यायालय ने संवधान सभा की सफिरशि के बिना अनुच्छेद 370 की समाप्ती की घोषणा करने के राष्ट्रपति के अधिकार की पुष्टि की, जसिे भंग कर दयिा गया था।

○ इसके अलावा इसने वधायी और गैर-वधायी दोनों उद्देश्यों के लयि राज्य वधिनमंडल की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु संसद के अधिकार कषेत्तर की स्थापना की।

○ न्यायालय ने जममू-कश्मीर के संवधान को नषिकरयि और नरिरिथक घोषति कर दयिा।

■ भवषिय के नहितारिथ और दशिएँ:

○ जममू एवं कश्मीर के राज्य के दर्जे की संभावति बहाली को संबोधति करते हुए न्यायालय ने राज्य को दो केंद्रशासति प्रदेशों में पुनर्रगठति करने की संवैधानकि वैधता पर फैसला देने से परहेज कयिा। हालाँकि इसने राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने के संबंध में सॉलसिटर जनरल की दलील को स्वीकार कर लयिा।

○ सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को 30 सतिंबर, 2024 तक जममू-कश्मीर में वधिनसभा चुनाव कराने का नरिदेश दयिा और उम्मीद जताई कि राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल कयिा जाएगा।

वति

करों के अनंतमि संग्रहण अधनियिम की जगह लेने वाला वधियक संसद द्वारा पारति

पारति नया वधियक पुराने करों के अनंतमि संग्रह अधनियिम, 1931 को नरिसत करने के लयि वधायी साधन के रूप में कार्य करता है। यह ऐतहिसकि नरिसन कर प्रशासन को समकालीन ज़रूरतों के साथ संरेखति करने, पुराने प्रावधानों को त्यागने और कराधान प्रक्रयिा को सुव्यवस्थति करने की दशिएँ में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

■ प्रमुख प्रावधानों का प्रतधिरण:

○ 1931 के अधनियिम को नरिसत करने के बावजूद करों का अनंतमि संग्रह वधियक, 2023 अपने पूर्ववर्ती में नहिति आवश्यक प्रावधानों को संरक्षति और शामिल करता है।

■ संवैधानकि अनविरयताएँ:

○ संवैधानकि ढाँचे के भीतर जनादेश लागू करने से एक वशिषिट कानूनी आधार बनता है। करों का अनंतमि संग्रह अधनियिम, 2023, औपचारकि अधनियिमन से पहले ही एक वधियक में प्रस्तावति उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क लगाने का अधिकार देकर इस आवश्यकता को पूरा करता है।

○ यह कानूनी तंत्र वधायी इरादे और वतितीय कार्यान्वयन के बीच एक नरिबाध संक्रमण सुनश्चिति करता है।

■ अवधि और प्रभाव:

○ अपने अस्थायी दायरे को रेखांकति करते हुए अधनियिम एक नरिधारति अवधि के लयि कर लगाने का अधिकार देता है, या तो जब तक कि संबंधति वधियक आधिकारकि तौर पर पारति नहीं हो जाता है या इसके पेश होने के बाद अधिकतम 75 दिनों की अवधि होती है।

○ यह प्रावधान कर कार्यान्वयन में एक गतशील आयाम जोड़ता है, वधायी प्रक्रयिा का सम्मान करते हुए उत्तरदायी वतितीय उपायों को सकषम बनाता है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधनियिम में संशोधन

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 मौजूदा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 में संशोधन पेश करता है, जो वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कराधान के परदृश्य को आकार देता है।

■ CGST अधिनियम, 2017 में संशोधन:

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 का केंद्र बट्टि CGST अधिनियम, 2017 में इसके संशोधनों में नहि है।
- यह मूलभूत कानून एक ही राज्य की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लेन-देन पर CGST लगाने तथा एकत्र करने हेतु रूपरेखा को दर्शाता है।
- न्यायिक सदस्यों की योग्यताओं में परिवर्तन:
 - अधिनियम द्वारा लाया गया एक उल्लेखनीय परिवर्तन GST अपील न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिये आवश्यक योग्यताओं से संबंधित है।
 - संशोधन पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है, जिससे न्यूनतम 10 वर्षों के पेशेवर अनुभव वाले अधिवक्ताओं को ऐसी नियुक्तियों के लिये अर्हता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
 - यह बदलाव पछिले मानदंडों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है और ट्रिब्यूनल के भीतर विशेषज्ञता को बढ़ाने का प्रयास करता है।

RBI द्वारा स्व-नियामक संगठनों के लिये मसौदा रूपरेखा

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में वनियमिति इकाई क्षेत्र के भीतर स्व-नियामक संगठनों (Self-Regulatory Organizations- SRO) को मान्यता देने के उद्देश्य से एक मसौदा रूपरेखा का अनावरण किया है। यह रणनीतिक कदम वनियमिति संस्थाओं की बढ़ती संख्या और पैमाने को देखते हुए उठाया गया है, जो स्व-नियामक क्षेत्र में उन्नत उद्योग मानकों की आवश्यकता को प्रेरित करता है।

उद्योग मानकों की आवश्यकता:

- RBI द्वारा वनियमिति संस्थाओं, जैसे- बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को शामिल करने के साथ SRO की शुरुआत को नियमों की प्रभावशीलता को मज़बूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। SRO अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए उद्योग की उभरती मांगों को पूरा करने के लिये नियामक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- मान्यता प्रक्रिया: इच्छुक SRO नरिदष्टि पाठ्यक्रम मानदंडों को पूरा करके मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें गैर-लाभकारी स्थिति, क्षेत्र प्रतिनिधित्व और पेशेवर क्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता तथा नष्टिपक्षता और अखंडता जैसी प्रतिष्ठित नरिदेशकीय विशेषताएँ शामिल हैं।
- सदिधांतों का पालन: SRO को नैतिक और शासन मानकों को स्थापित करने के लिये सदस्यता समझौतों के तहत अधिकार प्राप्त करना अनविर्य है। उन्हें नयिम-नरिमाण हेतु वस्तुनष्टि तथा परामर्शी प्रक्रियाओं को भी नयिजति करना चाहिये, अनुपालन-सुधार मानकों को वकिसति करना चाहिये एवं प्रभावी नगरानी वधियों को नयिजति करना चाहिये।
- सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व: SRO का प्राथमिक फोकस सदस्यों के बीच सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसमें आचार संहिता तैयार करना और उसकी नगरानी करना, एक समान सदस्यता शुल्क संरचना बनाना, शकियत नविरण एवं वविाद समाधान/मध्यस्थता ढाँचे की स्थापना करना तथा वैधानिक/नियामक प्रावधानों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है।
- सदस्यता मानदंड: SRO को सभी स्तरों पर वविधि सदस्यता रखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे क्षेत्र का समग्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। स्वैच्छिक प्रकृति की न्यूनतम नरिधारित सदस्यता मान्यता प्राप्ति के दो साल के भीतर हासिल की जानी चाहिये।

अधिकृत व्यक्तियों हेतु मसौदा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जारी

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत अधिकृत संस्थाओं को वनियमिति करने के उद्देश्य से एक मसौदा लाइसेंसिंग ढाँचे का अनावरण किया है।
- यह ढाँचा RBI नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वदिशी मुद्रा या प्रतिभूतियों में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को नयितरति करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

वदिशी मुद्रा वनियमों का उदारीकरण:

- FEMA और अधिकृत व्यक्तियों का अवलोकन:
 - FEMA के तहत केवल RBI द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही वदिशी मुद्रा या प्रतिभूत लेन-देन में शामिल होने की अनुमति है। ये अधिकृत संस्थाएँ वभिनिन भूमिकाएँ निभा सकती हैं जैसे- अधिकृत डीलर, मनी चेंजर या ऑफ-शोर बैंकिंग इकाइयाँ, जिनमें से प्रत्येक वित्तीय परदृश्य में एक अलग कार्य करती है।
- वदिशी मुद्रा वनियमों का उदारीकरण:
 - वदिशी मुद्रा वनियमों के उदारीकरण के साथ RBI स्वीकार करता है कि लेन-देन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब केंद्रीय बैंक के सीधे हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता है।
 - यह अनुभाग प्रमुख प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें एक मॉडल एजेंसी के तहत काम करने वाले वदिशी मुद्रा संवादाताओं के रूप में पहचाने जाने वाले मुद्रा परिवर्तकों की एक नई श्रेणी की शुरुआत भी शामिल है।
- सतत् प्राधिकरण और व्यापार सुविधा: यह अनुभाग श्रेणी-II अधिकृत डीलरों के लिये प्राधिकरण अवधि में प्रस्तावित परिवर्तनों पर केंद्रित है। RBI इन संस्थाओं को प्रति लेन-देन 15 लाख रुपए तक व्यापार-संबंधित लेन-देन की सुविधा की अनुमति देने के साथ-साथ मौजूदा प्राधिकरणों को लगातार नवीनीकृत करने का सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त यह वदिशी बैंकों को श्रेणी-I अधिकृत डीलरों के रूप में काम करने की अनुमति देकर

उनकी भूमिका के वसितार पर चर्चा करता है।

■ अधिकृत डीलरों के लिये पात्रता मानदंड

- श्रेणी-II या श्रेणी-III के तहत अधिकृत डीलरों के रूप में प्राधिकरण या उन्नयन चाहने वाली संस्थाओं को वशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसमें एक कंपनी के रूप में पंजीकरण, इकाई के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के साथ संरेखण और न्यूनतम नविल मूल्य आवश्यकताओं का अनुपालन शामिल है।

प्रतभूतियों के तात्कालिक नपिटान पर परामर्श-पत्र जारी

भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में देश में प्रतभूतियों की नपिटान प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। वकिसति भुगतान प्रणालियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों को पहचानते हुए सेबी ने तात्कालिक नपिटान की शुरुआत का प्रस्ताव करते हुए एक परामर्श-पत्र जारी किया।

■ नपिटान प्रक्रिया का विकास:

- जनवरी 2023 से पारंपरिक नपिटान प्रक्रिया लागू हो गई है, जहाँ आदेश नपिपादन के अगले दिन तक धन और प्रतभूतियों का नपिटान किया जाता है।
- सेबी ने समाशोधन और नपिटान समय-सीमा में तेज़ी लाने के लिये भुगतान प्रणालियों में प्रगति का लाभ उठाने की क्षमता की पहचान की है, जिससे अधिक कुशल वित्तीय पारस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा।

■ त्वरित नपिटान के लाभ:

- SEBI ने तात्काल नपिटान से जुड़े कई फायदों पर प्रकाश डाला है, जिसमें धन और प्रतभूतियों की तात्काल प्राप्ति, बेहतर नविशक नयितरण, प्रतभूत बाज़ार में पूंजी जारी करना तथा जोखिम प्रबंधन में समग्र वृद्धि शामिल है।

■ चर्चाएँ और प्रस्तावित तंत्र:

- संभावित लाभों के बावजूद सेबी कुछ चर्चाओं को स्वीकार करता है जैसे बढ़ी हुई व्यापारिक लागत और नपिटान चक्र के आधार पर मूल्य वचिलन की संभावना।
- जवाब में सेबी ने शेयरों के लिये एक वैकल्पिक तात्काल नपिटान तंत्र की शुरुआत का प्रस्ताव रखा है, जिसमें दो चरणों में लागू किया जाएगा।
- पहले चरण का लक्ष्य एक ही दिन में धन और प्रतभूतियों का नपिटान करना है, जबकि दूसरे चरण का लक्ष्य व्यक्तगत ट्रेडों का तात्काल नपिटान करना है।

संचार

समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को वनियमिति करने वाला वधियक

प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण वधियक, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया। यह प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 1867 को नरिस्त करता है।

- **पत्रिकाओं का पंजीकरण:** अधिनियम समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह पुस्तकों की कैटेगिगि का भी प्रावधान करता है। वधियक पत्रिकाओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टपिपणियों वाला कोई भी पब्लिकेशन शामिल है। पत्रिकाओं में कतिबें या वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाएँ शामिल नहीं हैं।
- **वदिशी पत्रिकाएँ:**
 - वधियक का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत के भीतर वदिशी पत्रिकाओं के पुनर्रकाशन से संबंधित है, जिसके लिये अब केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- **प्रेस रजसिट्रार जनरल:**
 - अधिनियम केंद्र सरकार के लिये एक प्रेस रजसिट्रार नयिकृत करने का प्रावधान करता है जो समाचार-पत्रों के पंजीकरण की देख-रेख करता है। वधियक में भारत के प्रेस रजसिट्रार जनरल का प्रावधान है जो सभी पत्रिकाओं के लिये पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

डाकघर वधियक, 2023

डाकघर वधियक, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया। यह भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को नरिस्त करता है। अधिनियम डाकघर के कामकाज से संबंधित मामलों के लिये प्रावधान करता है। वधियक की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- डाकघर वधियक, 2023 में उल्लेखनीय वशिषताएँ शामिल हैं जो डाक सेवाओं से जुड़े वशिषाधिकारों, शक्तियों और दंडों को फरि से परभाषति करती हैं। मुख्य पहलुओं में एक वशिष्ट प्रावधान को छोड़कर केंद्र सरकार के कुछ वशिषाधिकारों को हटाना, शपिमेंट को रोकने के लिये सशक्तीकरण और अपराधों तथा दंडों को समाप्त करना शामिल है।

■ कुछ वशिषाधिकारों को हटाना:

- वधियक पछिले अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को दिये गए कुछ वशिषाधिकारों को समाप्त कर देता है। वशिष रूप से डाक टकिटों को जारी करने के अलावा पत्र और संबंधित सेवाओं को संप्रेषति करने का वशिषाधिकार अब प्रदान नहीं किया गया है, जो केंद्र सरकार के वशिष डोमेन के अंतर्गत रहता है।

■ शपिमेंट को रोकने का अधिकार:

- डाकघर वधियक का एक अनविर्य घटक डाक प्रणाली के माध्यम से प्रेषित शपिमेंट को रोकने का अधिकार है। अवरोधन के आधार में राष्ट्रीय सुरक्षा, बाह्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपात स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा या वधियक या अन्य कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन शामिल है। इस तरह के अवरोधन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये जा सकते हैं।

■ अपराध और सज़ा को हटाना:

- यह अपने पूर्ववर्ती भारतीय डाकघर अधिनियम, डाकघर वधियक, 2023 के विपरीत डाक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न अपराधों और दंडों को समाप्त करता है। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 सभी अपराधों और दंडों को हटाने के लिये भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन करता है। वधियक एक को छोड़कर किसी भी अपराध या परिणाम का प्रावधान नहीं करता है। अगर उपयोगकर्ता किसी राशिका भुगतान नहीं करता या उसे नज़रंदाज़ करता है, तो वह राशिका-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगी।

शिक्षा

तेलंगाना में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वधियक

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) वधियक, 2023 को संसद में पारित कर दिया गया। वधियक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है, जो विभिन्न राज्यों में शक्ति और अनुसंधान के लिये केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है। इस संशोधन का उद्देश्य तेलंगाना में एक नया केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करना है। इसका नाम 'सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय' रखा जाएगा। इसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तेलंगाना तक विस्तारित होगा। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिये उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।

■ तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना:

- इस विश्वविद्यालय को मुख्य रूप से भारत में जनजातीय आबादी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शक्ति और अनुसंधान के केंद्र के रूप में नामित किया गया है। विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तेलंगाना तक सीमित है।

■ वधियक पृष्ठभूमि:

- यह संशोधन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुरूप है, जो केंद्र सरकार को तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का आदेश देता है।

भारत में अनुसंधान-आधारित शिक्षा पर रिपोर्ट

शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने 'वज्जान एवं संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित शिक्षा तथा अनुसंधान परदृश्य' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति के प्रमुख सुझावों में नमिनलिखित शामिल हैं:

■ ओवरहेड्स:

- समिति ने कहा कि अनुसंधान के बुनियादी ढाँचे, जैसे लेबोरेटरीज़ और कंप्यूटर को बरकरार रखने की लागत काफी है। उसने कहा कि सरकार अनुसंधान के लिये जतिनी धनराशि वितरित करती है, वह वास्तविक परिचालन व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
- उसने अनुसंधान की परिचालन लागत को पूरा करने के लिये व्यवस्थित सहायता योजना बनाने का भी सुझाव दिया।

■ ज्ञान-वनिमय और परामर्श:

- मेंटरशिप कार्यक्रमों की सफारिश करते हुए समिति का सुझाव है कि IIT और IISER जैसे स्थापित संस्थान ज्ञान के आदान-प्रदान और सांसाधन साझा करने की सुविधा के लिये नए समकक्षों के साथ सहयोग करें।
- इस सफारिश को प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक विस्तारित करते हुए समिति एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की कल्पना करती है, जिसका उद्देश्य संस्थानों में उच्च अनुसंधान मानकों को बढ़ावा देना है।

■ प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो:

- प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हुए समिति ने प्रस्तावित फेलोशिप और वितरित अनुदान की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।

■ अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी प्रगति:

- अंतरिक्ष अनुसंधान के बहुमुखी लाभों को पहचानते हुए समिति अंतरिक्ष वज्जान में विशेष कार्यक्रम शुरू करने की सफारिश करती है।
- अंतरिक्ष अनुसंधान में रुचि और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये इंटरनेट शिपिंग एवं कार्यशालाओं जैसी पहल के साथ-साथ विश्वविद्यालयों तथा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग का सुझाव दिया गया है।

शपिगि

लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शपिगि पर वज्जिन दस्तावेज़ जारी

बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शपिगि के लिये अमृत काल वज्जिन 2047 जारी किया है। इस दस्तावेज़ का

उद्देश्य समुद्री गवर्नेंस को बढ़ावा देना है जो हतिधारकों, प्रशासनिक अधिकारियों और तटीय समुदायों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

मुख्य वषिय-वस्तु और कार्य बट्टि:

- अमृत काल वजिन 2047 के ढाँचे के भीतर दस्तावेज 11 महत्त्वपूर्ण वषियों की पहचान करता है, जिनमें से प्रत्येक वषिषिट कार्य बट्टिओं के साथ है। इन वषियों में भारत के टन भार को बढ़ावा देना, बढी हुई दकषता के लयि प्रौद्योगिकी तथा नवाचार का लाभ उठाना, वशिव सतरीय बंदरगाहों की स्थापना करना, जहाज़ नरिमाण, मरम्मत एवं रीसाइक्लिंग में देश को वैश्विक खलिाड़ी के रूप में स्थापति करना, तटीय शपिगि और अंतरदेशीय जल मॉडल की हसिसेदारी को बढाने जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। साथ ही परविहन एवं महासागर, तटीय और नदी करूज कषेत्र को बढ़ावा देना।

समन्वय और शासन:

- दस्तावेज का प्राथमिक फोकस समुद्री शासन के लयि एक मज़बूत आधार स्थापति करना है, जसिमें वभिन्नि हतिधारकों, प्रशासनिक अधिकारियों और तटीय समुदायों के बीच नरिबाध समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दया गया है।
- इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण से भारत के समुद्री कषेत्र के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देने, उल्लखिति कार्य बट्टिओं के सफल कार्यान्वयन की उम्मीद है।

स्वास्थ्य

आयुष्मान भारत पर रपिर्त

रपिर्त का ध्यान आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) पर केंद्रति है। जो सामाजिक-आर्थिक जात जिनगणना, 2011 के आधार पर लगभग 11 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को लकषति करते हुए माध्यमिक तथा तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भरती के लयि प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।

नधियों का आवंटन:

- समतिने सकल स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% के मौजूदा स्तर से बढाने का सुझाव दया।

कम उपयोग संबंधी चतिारें:

- AB-PMJAY के तहत धन के कम उपयोग के बारे में चतिारों को उजागर करते हुए समतिने संसाधनों को प्रभावी ढंग से अनुकूलति करने के लयि AB-PMJAY में पुरानी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव करते हुए बजट आवंटन में वृद्धि का सुझाव दया है।

लाभार्थियों का वसितार:

- अमेरिका के अफोरडेबल केयर अधिनियम के अनुरूप समतिने गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लयि वधिार करते हुए PMJAY में लाभार्थियों को व्यापक रूप से शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

पैनल में वृद्धि:

- समति स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पैनल में वसिगतियों की ओर इशारा करती है, जसिमें कर लाभ प्राप्त एवं भूमि अनुदान प्राप्त करने वाले, या मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों को अनविर्य रूप से शामिल करना अनविर्य है।

उद्योग

EV के प्रचार पर रपिर्त जारी

उद्योग संबंधी स्थायी समतिने 'देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने' हेतु अपनी व्यापक रपिर्त का अनावरण कया।

फेम योजना:

- समतिने फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक (एंड हाइब्रिड) व्हीकल्स (FAME-II) योजना के शुरुआती लकष्यों को पूरा करने में कमी की पहचान की और इस प्रकार इस योजना को कम-से-कम तीन वर्ष तक बढाने का सुझाव दया। इसके अतरिकित उन्होंने अधिक चार-पहिया EV को शामिल करने के लयि इसके दायरे को व्यापक बनाने का समर्थन कया, जसिमें वाहन की लागत और बैटरी कषमता के आधार पर एक सीमा शामिल की गई।

चारजगि इंफ्रास्ट्रक्चर:

- समतिने कहा कि फेम-II के तहत 22,000 चारजगि स्टेशन स्वीकृत कये गए हैं, हालाँकि 7,432 स्थापति कये गए हैं। इस प्रकार अधिक चारजगि स्टेशन बनाए जाने का सुझाव दया गया ताकि व्यक्तगित नविशकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समतियों को सुनिश्चित रटिरन की पेशकश कर चारजगि स्टेशनों की स्थापना करने के लयि प्रोत्साहति कया जाए। समतिने यह सुझाव भी दया कि सार्वजनिक उपकरणों तथा सरकारी संस्थानों को अपने परसिरों में चारजगि स्टेशन स्थापति करने चाहिये। समतिने भारी उद्योग मंत्रालय को बैटरी मानकीकरण की व्यावहारिकता पर एक अध्ययन करने और बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी नीति तैयार करने का भी सुझाव दया।

चारजगि इंफ्रास्ट्रक्चर कमियों को दूर करना:

- समति की जाँच चारजगि बुनयिदी ढाँचे तक वसितृत है, जसिमें FAME-II के तहत स्वीकृत और स्थापति चारजगि स्टेशनों के बीच असमानता देखी गई है।
- 22,000 स्टेशनों को मंजूरी और 7,432 के परचालन के साथ यह रपिर्त व्यक्तगित नविशकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समतियों सहति वभिन्नि संस्थाओं के लयि चारजगि स्टेशनों की स्थापना को प्रोत्साहति करने की सफिरशि करती है।
- इसके अलावा भारी उद्योग मंत्रालय के लयि बैटरी मानकीकरण व्यवहार्यता का पता लगाने और बैटरी स्वैपिंग तकनीक पर एक नीति तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया था।

- **EV की लागत:** समिति ने कहा कि इंटरनल कंबशन इंजन वाले वाहनों की तुलना में EV के ओनरशिप की लागत अभी भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। कमेटी ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 व्यक्तियों को ईवी खरीद ऋण पर भुगतान किये गए ब्याज पर कर बचत का दावा करने की अनुमति देता है। हालांकि यह लाभ 31 मार्च, 2023 तक स्वीकृत ऋणों तक ही सीमित था। कमेटी ने इस लाभ को कम-से-कम 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का सुझाव दिया। कमेटी ने इस बात पर गौर किया कि EV खरीद की लगभग आधी लागत बैटरी की वजह से होती है। उसने केंद्र सरकार को बैटरी पर जीएसटी कम करने का सुझाव दिया है।
- **EV की लागत: वित्तीय बाधाओं को कम करना:**
 - मौजूदा वित्तीय बाधाओं को पहचानते हुए समिति ने पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में EV रखने की अपेक्षाकृत उच्च लागत पर प्रकाश डाला। इसे कम करने के लिये रिपोर्ट EV ऋण ब्याज पर कर बचत की अनुमति देने वाले आयकर अधिनियम के लाभ को कम-से-कम 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने पर जोर देती है।
 - इसके अतिरिक्त समिति ने EV स्वामित्व पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा बैटरी पर लगाए गए माल और सेवा कर (GST) में कटौती का प्रस्ताव दिया।

श्रम

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की समीक्षा

श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति ने 'राष्ट्रीय बाल श्रम नीति- एक आकलन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने कई सुझाव दिये हैं जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम को समाप्त करने से संबंधित हैं। समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखित शामिल हैं:

- **बाल श्रम की व्यापकता:** 2011 की जनगणना के अनुसार, नवीनतम उपलब्ध आँकड़े में 5-15 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग एक करोड़ श्रमशील बच्चे हैं। समिति ने सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालय बाल श्रमकों की संख्या का अनुमान लगाने हेतु समय-समय पर समन्वित रूप से सर्वेक्षण करें। बच्चे आमतौर पर गैराज, ईट-भट्टों तथा निर्माण स्थलों जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। कुछ इस्टैब्लिशमेंट्स मैन्युअल काम को ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स करते हैं। अगर ठेकेदार बाल मजदूरों को काम पर रखते हैं, तो मुख्य नियोक्ता को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में प्रमुख नियोक्ता को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिये।
- **बाल श्रम के मामलों को रोकना:** समिति ने कहा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय को बाल श्रम को खत्म करने में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये। उसने कहा कि आर्थिक उत्थान अंततः बच्चों को मजदूरी करने से रोकेंगे। समिति ने मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने के लिये कई सुझाव दिये हैं। इन सुझावों में हाशिये पर रहने वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग देना और नशीले पदार्थों के व्यसन की समस्या वाले बच्चों का पुनर्वास शामिल है।
- **बाल मजदूरों को बचाना:**
 - पछिले पाँच वर्षों में बाल श्रम में लगे लगभग दो लाख बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। कमेटी ने कहा कि इसकी तुलना में बहुत कम FIR दर्ज की गईं और बहुत कम बच्चों को बाल कल्याण समितियों (कशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत ज़रूरी) के सामने पेश किया गया।
 - कमेटी ने एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों को दंडित करने का सुझाव दिया। यौन अपराधों से बाल संरक्षण एक्ट, 2012 में भी ऐसा ही प्रावधान है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण

जूट बैग के अनिवार्य उपयोग की मंजूरी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के मानदंडों को मंजूरी दे दी है। इन मानदंडों को जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत बनाया गया है। पैकेजिंग मानदंडों के अनुसार, सभी खाद्यान्न और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट बैग में पैक किया जाना चाहिये। ये मानदंड जूट वर्ष 2023-24, यानी जुलाई 2023 से जून, 2024 तक लागू होंगे।

रसायन और उर्वरक

कीटनाशकों के संवर्द्धन और विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत

रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने 'कीटनाशक- सुरक्षित उपयोग सहित प्रोत्साहन और विकास- कीटनाशकों के लिये लाइसेंस व्यवस्था' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- **कानून को प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त नकियाय:** कीटनाशकों को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत वनियमित किया जाता है। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग इसे लागू करता है और इसे रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दायरे से बाहर रखा गया है। समिति ने कहा कि रसायन विभाग कीटनाशकों को वनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह विभाग समय-समय पर कृषि रसायन उद्योग से संबंधित मामलों पर काम करता है। समिति ने सुझाव दिया कि रसायन विभाग इस मामले को उचित मंच पर ले जाए ताकि कम-से-कम उन प्रावधानों को लागू किया जा सके जो कृषि रसायनों से संबंधित हैं। कीटनाशकों को मोटे तौर पर कृषि रसायन कहा जाता है।
- **कीटनाशकों का संतुलित उपयोग:**
 - कृषि घाटे को रोकने में कीटनाशकों के महत्त्व को पहचानते हुए समिति उनके व्यापक उपयोग से होने वाले संभावित नुकसान को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

- यह प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने वाले संतुलित दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिये कीटनाशक संवर्द्धन उपायों के कड़े कार्यान्वयन के महत्त्व पर जोर देती है।
- **कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना:**
 - भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कृषिउत्पादक होने के बावजूद यहाँ प्रतियोगिता के लिये कीटनाशकों की खपत अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।
 - समिति जापान और चीन जैसे देशों की कृषिपद्धतियों का अध्ययन करने तथा इन देशों में अधिक गहन कृषिपद्धतियों को देखते हुए भारतीय कीटनाशक उद्योग को मजबूत करने के उपाय शुरू करने का सुझाव देती है।

रक्षा

DRDO के कामकाज पर रपिर्ट

रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के कामकाज की समीक्षा' पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की। DRDO सशस्त्र सेनाओं के लिये स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास का काम करता है। समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखित शामिल हैं:

- **अनुसंधान बजट संबंधी चिंताएँ:**
 - पछिले दो वर्षों में रक्षा विभाग को आवंटित अनुसंधान बजट अनुरोधित राशि से कम हो गया है।
 - समिति भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में लाने के लिये DRDO को बजटीय अनुदान बढ़ाने का समर्थन करती है।
 - इसके अलावा मौजूदा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिये धन के उपयोग के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिसमें रक्षा PSU के लिये इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया।
- **लंबित परियोजनाएँ:**
 - समिति ने परियोजना अवधि में देरी पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि 55 परियोजनाओं में से 23 समय पर पूरी नहीं हो सकी।
 - रपिर्ट तकनीकी कर्मियों और मानकीकृत मूल्यांकन मानदंडों को शामिल करने पर जोर देते हुए देरी और लागत वृद्धि को संबोधित करने के लिये मौजूदा तंत्र की गहन समीक्षा की सिफारिश करती है।
- **स्वदेशीकरण चुनौतियाँ:**
 - खतरे की उभरती धारणाओं के आधार पर नई तकनीक और सॉफ्टवेयर विकसित करने के DRDO के प्रयासों के बावजूद समिति विदेशी सैन्य प्लेटफॉर्मों पर भारत की लगातार निर्भरता पर प्रकाश डालती है।
 - रपिर्ट में अगले दशक के भीतर संभावित 80%-90% स्वदेशीकरण का पूर्वानुमान है, लेकिन रक्षा योजना में अधिक व्यावसायिकता, अनुसंधान और विकास के बेहतर प्रबंधन तथा आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
 - समिति ने चेतावनी दी है कि आयातित हथियार प्रणालियों पर निर्भरता मेक इन इंडिया पहल की सफलता में बाधा बन सकती है।

विदेशी मामले

G-20

विदेश मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने 'G-20 देशों के साथ भारत की भागीदारी' पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की। भारत ने 9-10 सितंबर, 2023 को 18वें G-20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी।

प्रमुख नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखित शामिल हैं:

- **क्रिप्टो एसेट्स फ्रेमवर्क:**
 - समिति ने अधिकांश G-20 सदस्य देशों में क्रिप्टो परसिंपत्तियों के लिये एक व्यापक नियामक ढाँचे की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला।
 - G-20 देशों ने IMF और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के एक संश्लेषण-पत्र अपनाया, जिसमें क्रिप्टो परसिंपत्तियों के लिये नियामक दृष्टिकोण-निर्देशों की रूपरेखा दी गई है।
 - समिति ने सरकार से इस पत्र की सिफारिशों का मूल्यांकन करने और एक व्यापक नियामक ढाँचे को लागू करने का आग्रह किया।
 - इसके अतिरिक्त इसने गैर-वित्तीय संपत्तियों के माध्यम से कर चोरी को रोकने के लिये G-20 सदस्यों के बीच एक क्रिप्टो परसिंपत्ति रपिर्टिंग ढाँचे की शुरुआत की सिफारिश की।
- **भारत-पश्चिम एशिया-यूरोपीय गलियारा (IMEC):**
 - IMEC एक नेटवर्क है जिसका उद्देश्य यूरोप और एशिया के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान को सुवर्धित बनाना है।
 - समिति ने सुझाव दिया कि एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को सुवर्धित बनाने के लिये गलियारे को समय-समय पर चालू किया जाना चाहिए।
- **ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस:**
 - G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर लॉन्च किया गया ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस प्रौद्योगिकी प्रगति, टिकाऊ उपयोग और मानकों तथा प्रमाणपत्रों के माध्यम से जैव ईंधन को अपनाने में तेज़ी लाने का प्रयास करता है।
 - इथेनॉल बाज़ार की तीव्र वृद्धि को स्वीकार करते हुए समिति ने सिफारिश की कि भारत को गठबंधन के सदस्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर और चुनौतियों का तुरंत समाधान करके अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

कच्चे तेल के आयात पर रपिपोर्ट

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ने 'कच्चे तेल की आयात नीतिकी समीक्षा' पर अपनी रपिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ स्रोतों का वविधीकरण:

- भारत का अधिकांश हाइड्रोकार्बन आयात पश्चिमि एशिया से होता है जो भू-राजनीतिक तनाव से ग्रस्त है। इससे आपूर्ति बाधति हो सकती है।
- समिति ने कहा कि कच्चे तेल और गैस आपूर्ति हेतु किसी भी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावति कर सकती है। उसने सुझाव दिया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कच्चे तेल तथा गैस के आयात में वविधिता लाने के लिये कदम उठाए।

■ आयात निर्भरता में कमी:

- भारत ने ववित्तीय वर्ष 2022-23 में अपने कच्चे तेल की खपत का लगभग 87% आयात किया।
- समिति ने पाया कि भविष्य में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने के लिये सरकार ने रोडमैप तैयार किया है।
- रोडमैप में नमिनलखिति प्रावधान हैं:
 - घरेलू उत्पादन बढ़ाना।
 - जैव-ईंधन और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
 - ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
 - रफिगइनरी प्रकरिया में सुधार।
- समिति ने सुझाव दिया कि मंत्रालय हरति हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों और जैव-ईंधन को बढ़ावा दे। उसने सुझाव दिया कि मंत्रालय वशिषज्जों का एक बहुवषियक समूह बनाए ताकि जीवाश्म ईंधन की मांग को कम करने के लिये नीतगित उपाय किये जा सकें।

खनन

नजि एजेंसियों की नयिकृति की योजना अधसूचति

खान मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनजिओं की खोज के लिये नजि एजेंसियों की भागीदारी की योजना को अधसूचति किया है। महत्त्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनजिओं को खान एवं खनजि (वकिस और वनियमन) अधनियम, 1957 की अनुसूची में नरिदषिट किया गया है। इनमें लथियम, नकिल, कोबाल्ट, सेलेनियम, प्लैटिनम तथा सोना शामिल हैं। यह योजना ऐसे खनजिओं की खोज को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण ट्रस्ट (National Mineral Exploration Trust- NMET) के माध्यम से अन्वेषण कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। योजना की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ प्रमुख खनजि और उद्देश्य:

- अधनियम में उल्लखिति महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनजि, इन संसाधनों के अन्वेषण प्रयासों में तेजी लाने की मांग करते हुए योजना के केंद्र बढि हैं।
- यह पहल इन खनजिओं की स्थायी और सुरक्षति आपूर्ति सुनिश्चति करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

■ अनुमोदन प्रकरिया:

- इच्छुक एजेंसियों भूवज्जान डेटा के आधार पर अन्वेषण के लिये क्षेत्र का चयन कर सकती हैं और राष्ट्रीय खनजि अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर NMET प्रस्ताव को भारतीय भूवज्जानिकि सर्वेक्षण एवं संबंधति राज्य सरकारों को उनकी टपिपणियों के लिये भेज देगा।
- एक बार टपिपणियों को प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो जाने पर NMET को 15 दिनों के भीतर सैद्धांतिकि मंजूरी देनी होगी या आवेदनों को अस्वीकार करना होगा। सैद्धांतिकि अनुमोदन पर एजेंसी को NMET की अंतिम मंजूरी के लिये एक वसितृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

■ खनजि संबंधी छूट हेतु नयिम और शर्तें:

- अन्वेषण के लिये मंजूरी खनन पट्टे सहति खनजि संबंधी छूट/कन्सेशंस हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। हालाँकि एजेंसी उस ब्लॉक या उसके द्वारा खोजे गए किसी हसिसे पर खनजि संबंधी छूट के लिये नीलामी में भाग ले सकती है।
- अगर अधिकृत एजेंसी से संबंधति कोई पक्ष, नीलामी में भाग ले रहा है तो उसे इसकी घोषणा पहले से करनी होगी।

■ अन्वेषण परियोजना हेतु अग्रमि भुगतान:

- NMET इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को स्थापति मानदंडों के अनुसार ववित्तपोषति करेगा।
- इसमें इन अन्वेषण परियोजनाओं की जाँच के वभिन्न चरणों जैसे- रीकानसिन्स सर्वेक्षण, प्रारंभिक अन्वेषण, सामान्य अन्वेषण और वसितृत अन्वेषण को शामिल किया जाएगा।
- अधिकृत एजेंसी अग्रमि राशिके रूप में NMET से परियोजना लागत का 30% तक का लाभ उठा सकती है। एजेंसी को अग्रमि राशिप्राप्त करने के लिये उतनी ही राशिकी बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

खनजिओं के लिये रियायतों के संबंध में नयिमों पर टपिपणियाँ

खान मंत्रालय ने दो मसौदा नयिम जारी किये हैं: अपतटीय क्षेत्र खनजि (नीलामी) नयिम, 2023 और अपतटीय क्षेत्र खनजि (खनजि संसाधनों का अस्तित्त्व) नयिम, 2023। इन्हें अपतटीय क्षेत्र खनजि (विकास एवं वनियिमन) अधनियिम, 2002 के तहत जारी किया गया है। यह अधनियिम समुद्री क्षेत्रों में खनन का वनियिमन करता है।

मसौदा नयिमों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **आवंटन हेतु नीलामी:** अपतटीय क्षेत्रों में खनजि के लिये नमिनलखिति कन्सेशन/छुट प्रतसिपर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिये जाएंगे:
 - समग्र लाइसेंस, जो अन्वेषण के साथ-साथ खनन के लिये अधिकार प्रदान करता है।
 - खनन करने के लिये उत्पादन पट्टा।
- इन कन्सेशन की नीलामी के लिये एक आरक्षति मूल्य नरिदषिट किया जाएगा। आरक्षति मूल्य प्रेषति खनजि के मूल्य के न्यूनतम प्रतशित के अनुसार होगा।
- खनजि का मूल्य एक माह में डसिपैच किये गए खनजि के उत्पाद और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशति खनजि के वकिर्य मूल्य के बराबर होगा।
- **रधियाती क्षेत्रों की पहचान:**
 - उस क्षेत्र के लिये उत्पादन पट्टा दिया जा सकता है जिसके लिये कम-से-कम सामान्य अन्वेषण पूरा हो चुका है और एक भूवैज्ञानिकि अधययन रपिर्ट तैयार की गई है।
 - सामान्य अन्वेषण में कसिी खनजि भंडार की मुख्य भूवैज्ञानिकि वशिषताएँ सुनशिचति की जाती हैं।
 - इसमें खनजि क्षेत्रों के आकार, आकृति और संरचना तथा खनजि भंडार की मात्रा एवं ग्रेड का प्रारंभिकि अनुमान शामिल होता है।

पर्यावरण

वन्यजीवन (संरक्षण) अंतर्राष्ट्रीय नमूना व्यापार नयिम, 2023

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में वशिषिट पौधों और जानवरों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वनियिमति करने के उद्देश्य से नयिम जारी किये हैं।

ये नयिम वन्यजीवन (संरक्षण) अधनियिम 1972 के तहत स्थापति किये गए हैं, जो वैध परमटि या प्रमाण-पत्र के बिना लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाता है। इस संदर्भ में नयिम ऐसे परमटि प्राप्त करने और उन्हें प्रबंधति करने के लिये वभिन्न शर्तों की रूपरेखा तैयार करते हैं।

नयिमों की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

- **परमटि की टरेडिगि:** लुप्तप्राय पौधों और जानवरों के नमूनों के आयात, नरियात या पुनः नरियात के लिये परमटि दिया जा सकता है। अधनियिम के तहत स्थापति प्रबंधन प्राधकिरण इन परमटि को देने के लिये ज़मिंदार होगा। एक आवेदन कानूनी खरीद प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। एक नरियात तथा पुनः नरियात परमटि छह महीने हेतु वैध होगा एवं एक आयात परमटि 12 महीने के लिये वैध होगा।
- **उत्तरजीवति मूल्यांकन अधययन:**
 - आयात परमटि जारी करने से पहले प्रबंधन प्राधकिरण को उत्तरजीवति मूल्यांकन के लिये आवेदन को वैज्ञानिकि प्राधकिरण के पास भेजना होगा।
 - एशियाई हाथियों, भारतीय अजगर और गबिबन जैसे नरिदषिट जानवरों के लिये नरियात परमटि आवेदन प्रक्रिया के दौरान उनकी जीवन स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है।
 - वैज्ञानिकि प्राधकिरण को 30 दिनों के भीतर सलाह के साथ जवाब देना आवश्यक है।
- **आवेदन अनुमोदन प्रक्रिया:**
 - प्रबंधन प्राधकिरण को वैज्ञानिकि प्राधकिरण से सलाह प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।
 - लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को नहीं अपनाने वाले देशों में नरियात नषिदिध है।
- **परमटि रद्द करना:**
 - प्रबंधन प्राधकिरण वभिन्न आधारों पर परमटि रद्द करने का अधिकार रखता है, जिसमें संभावति व्यावसायिकि उपयोग, प्राप्तकर्त्ता की कुछ प्रजातियों की देखभाल करने में असमर्थता और जीवति नमूनों को संभालने के दौरान जोखमि को कम करने में वफिलता शामिल है।

उपभोक्ता मामले

पूर्वोत्तर में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर रपिर्ट

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वतिरण संबंधी स्थायी समतिने 'उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में पहल' पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की।

समति के प्रमुख सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **उपभोक्ता संरक्षण परषिद:**
 - उपभोक्ता संरक्षण परषिदें उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की नगिरानी और प्रवर्तन, उपभोक्ताओं को शकिषति करके और उपभोक्ता संरक्षण मुद्दों पर सरकार को सलाह देकर उपभोक्ता हलिों की रक्षा करती हैं।

